न्यायालय सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मानसिंह चूण्डावत, सेशन न्यायाधीश

आपराधिक निगरानी सं. – 24/2026 (सीआईएस.नं. 29/2026)

जितेन्द्र कुमार पुत्र अमर लाल उम्र 40 साल, निवासी गोपाल नगर, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

....निगरानीकार

बनाम

1. प्रहलाद सिंह पुत्र सांवत सिंह उम्र 65 वर्ष, निवासी सिरडी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.... गैर निगरानीकार

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 23.09.2025 उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा मुकदमा सं. 682/2025 इस्तगासा सं. 73/2025 में धारा 126, 135 बीएनएसएस. के तहत पाबंद किये जाने हेतु नोटिस जारी किये जाने पर

उपस्थित –

1. निगरानीकार की ओर से – श्री गौरव परमार, विद्वान अधिवक्ता.
2. गैर निगरानीकार सं. 01 की ओर से – श्री बी.एल. पोखरना, विद्वान अधिवक्ता.
3. गैर निगरानीकार सं. 02 एवं 03 की ओर से – विद्वान लोक अभियोजक.

आदेश दिनांक 29.07.2026

1. निगरानीकार ने यह निगरानी उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 23.09.2025 को मुकदमा सं. 682/2025 इस्तगासा सं. 73/2025 में धारा 126, 135 बीएनएसएस. के तहत पाबंद किये जाने हेतु नोटिस जारी किये जाने बाबत आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी प्रहलाद सिंह द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा

''मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया''

जांच की गई एवं जांच से यह पाया कि परिवादी की कृषि भूमि ग्राम गोपाल नगर में स्थित है, जिसके पडौस में गैरसायल जितेन्द्र रेगर की कृषि भूमि स्थित हैं एवं दोनों के मध्य जमीन संबंधी विवाद है तथा इस पर पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा गैरसायल जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा 126–135 बीएनएसएस के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा धारा 126, 135 बीएनएसएस. के तहत पाबंद किये जाने बाबत् निगरानीकार को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिनांक 23.09.2025 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की है ।

3. निगरानी में न्यायालय को यह देखना है कि विचारण न्यायालय द्वारा जैर निगरानी आदेश पारित करने में कोई अनियमितता या अवैधता तो नहीं की गई ?

4. बहस सुनी गई । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

5. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का तर्क रहा है कि वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.09.2025 के अवलोकन मात्र से यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि उपरोक्त आदेश मस्तिष्क का उपयोग किये बिना (Without application of mind) पारित किया गया है, जो कि साईक्लोस्टाईल प्रारुप में है तथा विधिकतया पोषणीय आदेश की श्रेणी में नहीं आता है ।

6. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का यह भी तर्क रहा है कि वास्तव में निगरानीकार की पत्नी गांव की सरपंच है तथा गैर निगरानीकार संख्या 01 वर्तमान विधायक का संबंधी है, इस कारण गैर निगरानीकार संख्या 02 पर दबाव बनाकर अर्नगल रूप से परिवाद प्रस्तुत कराया गया है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा बावजूद इसके कि पत्रावली पर मूल परिवाद तक उपलब्ध नहीं है, संदर्भित आदेश जिसके जरिये निगरानीकार को छह माह हेतु पाबंद किये जाने बाबत् नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जारी किया गया है तथा ऐसी स्थिति में यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 01 का तर्क है कि संबंधित जमीन पर गैरनिगरानीकार संख्या 01 का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है तथा यदि उपरोक्त कब्जा एक बार अवैध होना मान भी लिया जावे तो भी उपरोक्त कब्जे को हटाये जाने का दायित्व केवल संबंधित प्राधिकारी का है, जिसके द्वारा अवैध कब्जा पाये जाने पर गैर निगरानीकार संख्या 01 को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही बेदखल किया जाना विधिकतया अनुज्ञेय है तथा वर्तमान प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 01 अत्यंत उग्र स्वभाव का व्यक्ति है, जिसके द्वारा शांति भंग किये जाने की प्रबल संभावना को देखते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे ।

8. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.09.2025 को पुष्ट किये जाने एवं निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

9. सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. वर्तमान प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि संदर्भित पुलिस थाना द्वारा निगरानीकार के विरूद्ध धारा 126, 135 बीएनएसएस के अन्तर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश के माध्यम से निगरानीकार को परिशांति बनाए रखने के लिए पाबंद करने हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।

11. यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **1971 ए.आई.आर 1 (एस.सी) पेज–2486 मधु लिमये व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी व अन्य** में यह स्पष्ट तौर पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

“The procedure begins with Section 112. It requires that the Magistrate acting under Section 107 shall make an order in writing, setting forth the substance of the information received, the amount of the bond. The term for which it is to be in force and the number, character and class of sureties (if any) required. Since the person to be proceeded against has to show cause. It is but natural that be must

know the grounds for apprehending a breach of the peace of disturbance of the public tranquillity at his hands. Although the section speaks of the 'substance of the information' it does not mean the order should not be full. It may not repeat the information bodily but it must give propose notice of what has moved the Magistrate to take the action. This order is the foundation of the jurisdiction and the word 'substance' means the essence of the most important parts of the information. (Para37)

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तों के अवलोकन से यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि संदर्भित मजिस्ट्रेट से धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 126, 135 बीएनएसएस) के तहत आदेश पारित किए जाते समय यह अपेक्षा है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है उसके संदर्भ में समुचित आधारों को उक्त आदेश में वर्णित किया जावे तथा ''सूचना का सार'' शब्दों का प्रयोग किए जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संदर्भित आदेश सम्पूर्ण आदेश होना अपेक्षित न हो।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **1973 (9) डी.एल.टी पेज–422 रघुवंश कुमार बनाम मदनलाल शर्मा व अन्य** में अनुसरित किया गया है तथा अन्य न्यायिक विनिर्णय **1967 ए.आई.आर (दिल्ली) पेज–31 बलराज मधोक बनाम केन्द्रीय सरकार** एवं **1969 ए.आई.आर. (दिल्ली) 304 बनारसीलाल बनाम श्रीमती नीलम** का भी अवलम्बन लिया गया है।

14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी न्यायिक विनिर्णय **1977 आर.सी.सी पेज–66 मांगीलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तों को अनुसरित किया गया है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि –

“The omission to give substance of the information is the impugned order has caused prejudice to the persons proceeded against.”

15. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भित आदेश का यांत्रिक रूप से जारी किया जाना इस तथ्य से भी पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि संदर्भित आदेश में जो

भाषा प्रयुक्त की गई है वह एक सेट प्रफोर्मा के तहत प्रयुक्त की जाने वाली भाषा मात्र है तथा उक्त नोटिस कहीं भी संदर्भित पुलिस थाना द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए परिवाद पत्र के सार को स्पष्ट रूप से उजागर नहीं करता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **वीरेन्द्र कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य 2014 (2) आर.सी.सी (राज.) पेज–562** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नोटिस में यदि इत्तला का सार अंकित नहीं किया गया हो तथा कारण बताओ नोटिस के जवाब के बिना ही संदर्भित आदेश पारित किया गया हो तो ऐसा पारित किया गया आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

16. वर्तमान प्रकरण में भी निगरानीकार को जारी किए गए नोटिस में इत्तला का सार अंकित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में उक्त न्यायिक विनिर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं। इसी विधिक स्थिति को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक विनिर्णय **1991 क्रि.लॉ.रि पेज–786 बाबूलाल व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य** तथा माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **2005 ए.एम.आर (क्रि.) पेज 2951 बसन्त कुमार जीवाराम भाई मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य** में भी स्पष्ट रूप से अनुसरित किया गया है।

17. जहां तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 114 दंड प्रक्रिया संहिता (133 बीएनएसएस) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना का प्रश्न है, इस न्यायालय के विनम्र मत में संदर्भित पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य कहीं भी उजागर नहीं होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 114 दंड प्रक्रिया संहिता (133 बीएनएसएस) के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुए धारा 113 दंड प्रक्रिया संहिता (132 बीएनएसएस) के तहत जारी किए गए नोटिस के साथ धारा 111 दण्ड प्रक्रिया संहिता (130 बीएनएसएस) के आदेश की प्रति प्रेषित की गई हो, ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश, बीएनएसएस के आज्ञापक प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा सुस्थापित विधिक स्थिति की अवहेलना कर पारित किये जाने के कारण अपास्त

किया जाना विधिकतया अपेक्षित है तथा ऐसी स्थिति में प्रकरण के संबंध में जो तथ्यात्मक विवरण इस न्यायालय के समक्ष उजागर किया गया है, उसके संबंध में पृथक से कोई विवेचन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से उसे अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

18. परिणामतः निगरानीकार जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत निगरानी विरुद्ध गैर निगरानीकार प्रहलाद सिंह वगैरा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 23.09.2025 को मुकदमा सं. 682/2025 इस्तगासा सं. 73/2025 सरकार बनाम जितेन्द्र में पारित आदेश अपास्त किया जाता है ।

विचारण न्यायालय को आदेश की प्रति के साथ पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे ।

(मानसिंह चूण्डावत)
सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़

19. आदेश आज दिनांक 29.07.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मानसिंह चूण्डावत)
सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़

PRAHLAD RAI SOMANI
Digitally signed by PRAHLAD RAI SOMANI
Date: 2026.07.29 17:21:46 +0000

''मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया''